फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
बलजीत सिंह वगैरह
बनाम
स्टेट, सरपंच व अजय बोथरा वगैरह

क़िस्म मुकदमा : 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम

अपील संख्या...121...../2022
GCMS No. 2022/..........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	न0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.10.2022	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। पत्रावली पर प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रथमतः अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर हो। अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 29–07–2022 के विरूद्व पेश हुई है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की खातेदारी भूमि ग्राम मोकलसर के चक 99.150 आर.डी. के खसरा नंबर 204 के 51.976 हैक्टेयर में से 0.2277 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 29.07.2022 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि आदेश जैर अपील 29.07.2022 विधि विरूद्ध, गलत, असंगत एवं मनमाने तौर पर किया गया है। अपीलांट का संयुक्त खाता रोही मोकलसर तहसील सूरतगढ़ के खसरा नम्बर 204 तादादी 51.976 है0 बारानी खातेदार भूमि है, जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त खातेदारी भूमि में से रास्ते की मांग के लिए तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ के समक्ष ग्राम वासियों द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर पटवारी व भू–अभिलेख निरिक्षक से प्राप्त मौका रिपोर्ट तहसीलदार सूरतगढ़ ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की है। उक्त रिपोर्ट पटवारी व गिरदावर हल्का ने पूर्णतया एक तरफा तौर पर बिना अपीलांट को सुने, बिना सूचना दिये तथा बिना मौके पर जाये तैयार कर दी। इस रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील आदेश दिनांक 29.07.2022 पारित कर खसरा नम्बर 204 में 0.2277 हैक्टेयर में रास्ता मंजूर कर दिया गया, जो अपीलांट व गौण रेस्पोडेंट्स के रकबा में से रास्ता दिया जाना कतई उचित नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक	

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

29.07.2022 को निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–07–2022 अपीलांट को बिना सुने इकतरफा तौर पर बिना किसी सूचना के पारित किया गया। अतः अपील अपीलांट आशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर सूरतगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि विचाराधीन प्रकरण में सभी प्रभावित पक्षकारों को सुनकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

तदनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04.10.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर